संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक–3 / प.क. / सेल–2 / 2018 / 33 भोपाल, दिनांक 8-01-2018

:– आदेश :–

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शिवपुरी के अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 17195 दिनांक 14.11.2017 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री हुकुम सिंह राजे ए.एस.ओ. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी जिनके पास पूर्व में क्लीनिक पंजीयन शाखा का प्रभार था, प्रभार के दौरान श्री राजे द्वारा निरस्त किये गये पंजीयन प्रकरणों के आवेदन पुनः मंगवाकर बिना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के संज्ञान में लाये उनके डिजीटल हस्ताक्षर के डोंगल का दुरूपयोग कर निरस्त किये गये क्लीनिकों का पुनः पंजीयन करवा दिया गया ।

श्री हुकुम सिंह राजे ए.एस.ओ. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी द्वारा उपरोक्त प्रकार से अपने पदीय दायित्वों की उपेक्षा, उनके निर्वहन में लापरवाही एवं नियम / निर्देशों का उल्लंघन किया जाकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3 के उप नियम (i) (ii) (iii) का उल्लंघन कर स्वंय को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बना लिया गया है ।

अतः एतद् आदेश द्वारा श्री हुकुम सिंह राजे ए.एस.ओ. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।

निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, ग्वालियर संभाग ग्वालियर रहेगा, तथा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।

आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा आदेशित ।

(डॉ0जे.एल.मिश्रा)
संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ0कमांक–3 / प.क. / सेल–2 / 2018 / 39

भोपाल, दिनांक 8-01-2018

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. आयुक्त, स्वास्थ्य संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश ।
2. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग ग्वालियर म0प्र0।
3. उप संचालक स्वास्थ्य सेवायें शिकायत शाखा स्थानीय कार्यालय ।
4. मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी म0प्र0 ।
5. श्री हुकुम सिंह राजे ए.एस.ओ. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी द्वारा–सी0एम0ओ0 शिवपुरी म0प्र0 ।
6. प्रभारी एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय ।

संचालक (परिवार कल्याण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश